समाहरणालय, शेखपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

पत्रांक– 1110 / प्रो०

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार पटना।

शेखपुरा, दिनांक– 09.09.2025 /

विषयः– आँगनबाड़ी सेविका के प्रोन्नति से संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आँगनबाड़ी सेविका के प्रोन्नति से संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन संख्या 01 / 2025/LS-P का प्रकाशन कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में विभिन्न समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–विज्ञापन संख्या– 01 / 2025/LS-P संलग्न।

विश्वासभाजन

09.9.25

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

D.P.O.~OFFICE~01-01-2025-1185

समाहरणालय, शेखपुरा
(प्रोग्राम शाखा)

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०) शेखपुरा जिला अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन।

(विज्ञापन संख्या-01/2025/LS-P)

शेखपुरा जिले में समेकित बाल विकास सेवाएँ (आँगनबाड़ी सेवाएँ) अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के 06 रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक-1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधित पत्र पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 एवं पत्रांक-5148, दिनांक-13.08.2025 तथा अन्य पत्रों से प्राप्त निदेश के आलोक में शेखपुरा जिला में कार्यरत इच्छुक आँगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का लिंक http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx है, जिसपर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकेंगी। नियोजन हेतु जिले में रिक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाईन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया (User Guideline) के रूप में भी शेखपुरा जिले के अधिकारिक वेबसाईट http://sheikhpura.nic.in पर प्रदर्शित है एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई०सी०डी०एस०, समाहरणालय, शेखपुरा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

सेविकाओं हेतु रोस्टर के अनुरुप रिक्तियाँ :–

नियोजन में बिहार अधिनियम 17/2002 एवं बिहार अधिनियम 02/2019 के आलोक में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना का पत्रांक-14396 दिनांक-10.09.2024 के अनुसार जिला स्तर पर संधारित आदर्श आरक्षण रोस्टर बिन्दु प्रभावी होगा एवं सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–16760 / 2023 गौरव कुमार बनाम बिहार सरकार राज्य एवं अन्य से सबंधित सभी मामलों में दिनांक-20.06.2024 को माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना, द्वारा आदेश पारित करते हुए बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 तथा बिहार आरक्षण अधिनियम 19/2023 को Set Aside कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (C) No. 014086/2024, 014425/2024 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024, 014430/2024 दायर किया गया है जिसमें पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर नियोजन प्रक्रिया की जा रही है।

1. शेखपुरा जिला में रिक्त 06 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	आरक्षण कोटि	बैकलॉग	रिक्ति	कुल रिक्ति
01	02	03	04	05
01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	00	01	01
02	पिछड़ा वर्ग	00	01	01
03	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	00	01	01
04	गैर आरक्षित वर्ग	00	03	03
	कुल योग	00	06	06

2 रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय-सीमा निम्नवत् है:- ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि- 09-09-2025 से 08.10.25 तक के संध्या 05:00 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे। (दिनांक 08.10.2025. जो संध्या 05:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे)।

3. आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन प्रिन्ट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी, शेखपुरा, समाहरणालय, शेखपुरा (रूम नंबर 26) पिन कोड-811105 के पते पर भेजना अनिवार्य होगा। लिफाफे के उपर बायीं ओर आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों-हाथ स्वीकार नहीं किए जायेंगे। बिना **ऑन**लाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया **जाऐगा।** ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की **स्वअभिप्रमाणित** छायाप्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगा :-

1. मैट्रिक परीक्षा **के उत्तीर्णता** का प्रमाण पत्र एवं अंक-पत्र। (यदि हो तो इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के **उत्तीर्णता का प्रमाण** पत्र एवं अंक पत्र संलग्न करेंगे)
2. अनुमंडल **पदाधिकारी द्वारा** निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र।
3. राजपत्रित **पदाधिकारी, शेखपुरा** द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
4. जाति **प्रमाण पत्र-आरक्षित व**र्गों के लिए जो लागू हो, यथा-जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र अतिपिछड़ा **वर्ग एवं पिछड़ा व**र्ग के लिए अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु) **संबंधी प्रमाण पत्र।**
5. अनुभव **प्रमाण पत्र अभ्य**र्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव **का प्रमाण पत्र संलग्न** करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि **अभ्यर्थी द्वारा कितने व**र्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है तथा कार्यरत अवधि का पूर्ण **रूप से पारिश्रमिक भुगतान** किया गया है।
6. **जिन आँगनबाड़ी सेविका के** राष्ट्रीय पुरस्कार / राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो संबंधित प्रमाण पत्र **संलग्न करना होगा।**
7. **अन्य प्रमाण पत्र जो लागू** हो। (दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित संबंधी प्रमाण-पत्र) ।

आँगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता।

1. **अभ्यर्थी भारत का नाग**रिक हो।
2. **अभ्यर्थी केवल कार्य**रत आँगनवाड़ी सेविका हो।
3. अभ्य**र्थी शेखपुरा** जिला की स्थायी निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यता :-

1. न्यूनतम योग्यता- मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्ण।

2. चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात-01.01.2025 तक 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

3. उम्र सीमा विज्ञापन वर्ष 2025 के पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी को इस आशय का अन्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगें।

वांछित सूचनाएँ

1. शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी।

2. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र मान्य होगें।

3 ऑगनबाडी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त किया गया है,आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा। तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

4. मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषयो के अकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषयों को जोड़ा जाएगा।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं (इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार / राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे।

6. विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरांत रिक्त पदो के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी।

7. यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जाएगा।

8. अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त ऑगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी।

9. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-411 दिनांक 16.01.2025 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक 27,500/- प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120 रूपया प्रति ऑंगनाडी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/- प्रतिमाह) निर्धारित है।

10. अतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियो को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। विज्ञापन एवं सेवा-शर्तों से संबंधित अधिकार जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के अधीन है। जिला पदाधिकारी, शेखपुरा विज्ञापन को संशोधित / रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।

नोट :- संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4068 दिनांक 20.08. 2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।

विस्तृत दिशा-निर्देश यथा-अर्हत्ता/आवेदन देने की प्रक्रिया आदि संबंधित्त बाल विकास परियोजना कार्यालय /जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई०सी०डी०एस०, शेखपुरा के सूचना पट्ट अथवा शेखपुरा जिला के अधिकारिक बेबसाईट http://sheikhpura.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।